झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 11.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	**श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0**	राँची विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मुहल्लों यथा कृष्णापुरी, अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी, चाणक्यनगर, अमरावती इत्यादि क्षेत्रों में 2014 से एल एण्ड टी के द्वारा जलापूर्ति पाइप लाईन बिछाने का काम किया जा रहा है जिसे 2019 में पूरा करना था लेकिन वह पूरा नहीं कर सका बाद में उसे Time Extention एक वर्ष का दिया गया लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक काम पूरा नहीं किया जा सका जिसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजलापूर्ति संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में मुख्य अभियन्ता का पद रिक्त है जिसके कारण कार्य बाधित है। अतः उपरोक्त गम्भीर समस्या को देखते हुये मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुये अविलम्ब पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने, एल एण्ड टी को Black Listed करने तथा अभियन्ता प्रमुख नियुक्त करने की मांग करता हूँ।	**पेयजल एवं स्वच्छता**

01.	02.	03.	04.
02-	**श्रीमती सीता सोरेन स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0 श्रीमती सबिता महतो स0वि0स0**	सीसीएल के आम्रपाली परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं में कोयले के परिवहन हेतु व्यापक पैमाने पर वन भूमि का इस्तेमाल हो रहा है मामला वन विभाग के संज्ञान में आने के बाद भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण खाता सं0- 68, प्लोट संख्या-293 अंचल टंडवा जिला चतरा है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन भूमि दर्ज है। 57 एकड़ कुल मध्य भूमि में से 14 एकड़ वन भूमि दर्ज है फिर भी खुले-आम कोयला ढुलाई करके जंगल को उजाड़ कर किया जा रहा है आम्रपाली खादान से शिवपुर साइडिंग तक का रोड वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा कभी काट दिया जाता है तो कभी जोड़ दिया जाता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि उपरोक्त मामले में दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए एवं अवैध कोयला ढुलाई परिवहन कार्य बंद करवाया जाए।	**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन**
03-	**श्री मंगल कालिन्दी स0वि0स0 श्री निरल पुरती स0वि0स0**	पूर्वी सिंहभूम जिला के जुगसलाई विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का बसोवास है। यहाँ पेयजल एवं बिजली की काफी समस्या है, यह क्षेत्र टाटा स्टील लीज क्षेत्र से सटा हुआ है। टाटा स्टील कम्पनी अपने लीज क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त लगभग 35 कि0मी0 दूर स्थित **सरायकेला** एवं 10 कि0मी0 दूर अवस्थित **आदित्यपुर** के क्षेत्रों में पेयजल एवं बिजली की सप्लाई करती है, परन्तु जमशेदपुर शहर एवं टाटा कम्पनी के बगल में जो जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र है वहाँ पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति टाटा स्टील कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है।	**पेयजल एवं स्वच्छता**

01.	02.	03.	04.
		महोदय, टाटा स्टील कम्पनी के इस **दोहरे चरित्र वाली कार्रवाई** से क्षेत्र के लोगों में **काफी दुःख और रोष** व्याप्त है। अतः आसन के माध्यम से जुगसलाई नगर परिषद अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्रों के लिए टाटा स्टील कम्पनी द्वारा शुद्ध पेयजल एवं बिजली की आपूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	
04–	**श्री नारायण दास स0वि0स0 श्री ढुलू महतो स0वि0स0 श्री कोचे मुंडा स0वि0स0**	''राज्य सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या– 417 दिनांक– 10.08.2021 के आलोक में राज्य अन्तर्गत सभी प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। इस नियमावली के लागू होने के कारण राज्य के निवासी काफी आक्रोशित है। इस नियमवाली से वैसे अभ्यर्थी भी राज्य अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो पायेगें, जो यहाँ के मूलवासी है क्योंकि बहुत ऐसे भी बच्चे है जिनके माता–पिता राज्य से बाहर कार्यरत हैं तथा महिला अभ्यर्थी जिनका अर्न्तराज्यीय विवाह यहाँ के मूलवासी के साथ हुआ है और वे यहाँ से उच्चत्तर शिक्षा भी ग्रहण कर रहें है, वे सभी राज्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित रह जायेंगे। ऐसी स्थिति में इस अधिसूचना में संशोधन करना राज्यहित में होगा।'' अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त वर्णित अधिसूचना के आलोक में राज्यहित में अधिसूचना व नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाय इस ओर मैं सदन का ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

कृ0पृ030–

01.	02.	03.	04.
05–	**श्री प्रदीप यादव स0वि0स0**	LARR Act- 2013 (भूमि अधिग्रहण कानून–2013) के तहत् झारखण्ड में **भूमि अधिग्रहण नियमावली– 2015** बना है, उक्त नियमावली के **"अध्याय–X"** के धारा–37 एवं 38 में रैयतों की जमीन वापसी का वर्णन है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि 5 वर्षो के बाद अनुपयोगी जमीन यानि जिन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गयी थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति में अधियाची द्वारा उपयोग न किया हो तो सरकार **मूल रैयतों को वापस करेगी या नहीं।** सरकार एवं लैंड बैंक (Land Bank) में वापस लेगी केवल इतना ही वर्णित है। जबकि मूल Act- 2013 में "Act-101" में दोनों प्रावधानों का जिक्र है। सरकार नियमावली–2015 में संशोधन कर मूल रैयतों के प्रावधानों को जोड़े ताकि **गोड्डा जिला में जिंदल कम्पनी** द्वारा **निपनियाँ एवं बारिसटांड ग्राम** में रैयतों की जमीन की वापसी के लंबित मामले एवं राज्य के अन्य जमीन मामले का समाधान हो सके। साथ ही **LARR Act की धारा–93** में स्पष्ट है कि भू–अर्जन की प्रक्रिया पूरा नहीं होने पर यथोचित सरकार पीछे हटती है तो समाहर्त्ता भू–अधिग्रहण के **कार्यवाही परिणाम स्वरूप हुए रैयतों के नुकसानों का आकलन** कर मुआवजों का हितबद्ध व्यक्तियों को भुगतान करेगा। लेकिन **नियमावली–2015** के धारा–37 एवं 38 में इन बातों का भी जिक्र न होने के कारण राँची जिला के **नामकुम–अंचल के हेथु ग्राम** खाता नं0–92, प्लॉट नं0–598 रैयत **श्रीमती बिगन महली, पति स्व0 अमृत मछली** का मामला लंबित है जबकि अधियाची ने अधियाचना को 5 वर्ष बाद वापस ले लिया है एवं **गोड्डा जिला के पौड़ैयाहाट अंचल के ग्राम–पेटवी, रंगनियाँ, सोन्डीहा, पूर्वेडीह एवं गायघाट मौजा के रैयतों** की जमीन	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

कृ0पृ030–

01.	02.	03.	04.
		अडाणी पावर लिमिटेड हेतु अधिग्रहण की प्रक्रिया में 4 वर्षो तक बेकार पड़ा रहा है, अधियाचना को 5 वर्षो के बाद अधियाची द्वारा वापस लेने के बाद किसान अपने जमीन का उपयोग शुरू कर पाया है। 5 वर्ष की हुई क्षति का रैयतों को कोई भुगतान नहीं हो पाया है। अतः सरकार का ध्यान उपयोक्त महत्वपूर्ण विषयों पर आकृष्ट करना चाहता हूँ ताकि मूल–रैयतों की समस्याओं का समाधान हो सके।	

राँची,
दिनांक– 11 मार्च, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०–प्र०ध्या०–01/2022–1238/वि० स०, राँची, दिनांक– 10/03/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०–प्र०ध्या०–01/2022–1238/वि० स०, राँची, दिनांक– 10/03/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

10/03/22